पत्रांक स0—14/डी0एल0ए0 सहरसा (अनु0 काया0) —108/2012—.................../रा0, पटना—15, दिनाक—

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू—अर्जन निदेशालय

अधिसूचना

संख्या – 3113/रा०   पटना, दिनांक – 31-12-12

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा सिमरी बख्तियारपुर, थाना नं 64, थाना वो अंचल— सिमरी बख्तियारपुर, परगना फरकिया, जिला—सहरसा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात मौजा— सिमरी बख्तियारपुर में अनुमण्डल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के भवन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांकित ग्राम—सिमरी बख्तियारपुर, थाना नं 64 के भीतर एक भू—खण्ड अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश, बीघा, कट्ठा, धुर, छटांग, जो कृषि योग्य, बंजर है, जिसका रकवा कुल— 4.56 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्न प्रकार है:—

पूर्ण खेसरा संख्या— **665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710.**

अंश खेसरा संख्या— **662, 663, 678, 679, 712, 719.**

इसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :—

उत्तर	**अंश खेसरा संख्या—679, 678, 662, 663 एवं पूर्ण खेसरा संख्या— 664**
दक्षिण	**पूर्ण खेसरा संख्या— 611 एवं सड़क।**
पूरब	**पक्की सड़क।**
पश्चिम	**सीमा रेखा मौजा— मधुबन।**

यह अधिसूचना भू—अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 एवं अधिनियम 1894 की धारा— 4 के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त ग्राम की भूमि का नक्शा, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सहरसा, और उनके कर्मचारियों तथा परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे अंचलाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करता है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा— 4(चार) की उपधारा— 2(दो) में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/—   ह0/—

समाहर्त्ता   सरकार के अवर सचिव
सहरसा   बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3113 / रा0   पटना, दिनांक – 31-12-12

प्रतिलिपि :— सहायक निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार पटना 800015 को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0 डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को प्रेषणार्थ।

प्रतिलिपि :— प्रभारी उपसमाहर्त्ता जिला गजट सहरसा को जिला गजट के अगले अंक मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पाँच—पाँच प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू—अर्जन कार्यालय सहरसा को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता एवं जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/1/13

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना